

वैश्विक परिदृश्य में ई-गवर्नेन्स का उदय एवं विकास (भारत के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ.साधना भण्डारी

व्याख्याता, लोक प्रशासन विभाग
राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)

डॉ. रतन लाल कुमावत

व्याख्याता
महात्मा गांधी पी.जी. महाविद्यालय, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सारांश

विश्व के अधिकांश देशों ने ई-गवर्नेन्स को आंतरिक स्तर के ढाँचों में सुधार के लिए ऑनलाइन उपकरण के रूप में स्थान दिया गया। इसी के साथ विकासशील देशों में भी मजबूत नेटवर्क, दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेहीता के लिए सशक्तिकरण की दिशा में स्वीकार किया गया। इस प्रकार विश्व के अधिकांश देशों में ई-गवर्नेन्स का प्रभाव दिखाई पड़ता है। भारत में प्राचीन काल में सूचनाओं के आदान-प्रदान करने में पौराणिक और पारम्परिक साधनों के स्थान पर आज इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक क्रांति ने शासन में पारदर्शिता एवं कुशलता के लिए तेजी से विकास किया और सभी जिला मुख्यालयों को प्रबंधन की दृष्टि से आपस में जोड़ा गया। सूचना प्रौद्योगिकी को अत्यधिक सार्थक बनाने के लिए 18 अक्टूबर, 2000 में अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम को लागू करने वाला भारत विश्व का 12 वाँ एवं एशिया का दूसरा देश है। ई-गवर्नेन्स शासन-प्रशासन के नियोजन, विकास, कार्यक्रमों समस्याओं एवं चुनौतियों से निपटने में प्रभावशाली भूमिका का निवाह कहाँ तक कर पाया है। इस सन्दर्भ में यह शोध-पत्र अवलोकनीय है।

मुख्य शब्द : ऑनलाइन, दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेहीता, सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी, ग्लोबल-विलेज, डिजिटल डिवाइड, वल्ड वाईड वेब, ई-नेटवर्क।

प्रस्तावना

वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में देखा जाये तो प्राचीन काल में शासन व प्रशासन के कार्यों में बेहतर तालमेल व पारस्परिकता का अभाव रहा है। विकास के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं रहा है। विकास प्रक्रिया में सरकारी तंत्र आन्तरिक प्रक्रियाओं को सुचारू, समस्या

के समाधान, क्रियान्विति, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहयोग करती हैं। प्रौद्योगिकी विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए उपकरणों के निर्माण के लिये वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग है। इसकी सहायता से आज का आदमी पहले से काफी दक्ष, कार्य कुशल तथा आत्मविश्वास से भरा हुआ प्रतीत होता है। इन सभी सेवाओं को कम्प्यूटरीकृत कर ई-गवर्नेन्स के तहत एकीकृत किया गया है। जिससे सूचना व संचार प्रौद्योगिकी क्रान्ति ने पूरी दुनिया को समेट कर 'ग्लोबल-विलेज' अर्थात् "गांव में बदली दुनिया" की अवधारणा को साकार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश देशों ने ई-गवर्नेन्स को आंतरिक स्तर के ढाँचे में सुधार के लिए प्रारम्भिक चरण के साथ अच्छी शुरुआत के रूप में अपनाया है। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और अन्य पश्चिमी देशों के साथ विकासशील देशों में आने वाले वर्षों में विकास के लिए ई-गवर्नेन्स लाभप्रद है।

विश्व में 1960-70 के दशक में ई-सरकार परियोजना के तहत 1967 में कम्प्यूटर की शुरुआत के साथ अर्थव्यवस्था प्लानिंग बोर्ड में सांख्यिकीय विश्लेषण कार्य के लिए कार्यालय स्वचालन प्रयास के रूप में **दक्षिण कोरिया** में शुरू किया गया। **अमेरिका** में ई-गवर्नेन्स का प्रारम्भ सर्वप्रथम सन् 1969 में रक्षा विभाग द्वारा कुछ कम्प्यूटरों को 'लोकल एरिया नेटवर्क' से जोड़कर किया गया था। 'एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क परियोजना' ही विस्तारित होकर 'वल्ड वाईड वेब' (WWW) का ही रूप है। ई-शासन अधिनियम, 2002 के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की गतिविधियों को मजबूत नेतृत्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनता में लोक सेवाओं का एकीकरण किया गया। **ब्रिटेन** में ई-गवर्नेन्स पहल का उद्देश्य व्यापक एवं आसान जानकारी को उपलब्ध कराना, नागरिक चार्टर के तहत सार्वजनिक जानकारी को सुलभ, उपयोगी, खुलापन तथा पारदर्शिता को प्रोत्साहन देना है। ई-गवर्नेन्स सही मायने में ई-सूचना और ई-सेवाओं में अधिक क्षमता का 'डिजिटल डिवाइड' है।

ऑस्ट्रेलिया में भी ई-गवर्नेन्स का ई-सरकार कार्यालय मिशन फरवरी 2003 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य मौजूदा सरकार के ढाँचे और प्रक्रियाओं को बदलना, सरकार के भविष्य की कल्पना एवं अभिकरणों को सशक्त बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा डिलिवरी, नागरिकों में सेवा वितरण एवं सहभागिता को बढ़ाना तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर एक उपकरण के रूप में इंटरनेट बेहतर सरकार प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया। **न्यूजीलैण्ड** में 1990 के बाद से ई-गवर्नेन्स को ई-सरकार के रूप में विकसित किया गया। सन् 2000 में नई इकाई के रूप में ई-सरकार कार्यक्रम निर्धारण उद्देश्य के साथ शुरुआत की गई। जिसके अन्तर्गत सरकारी अभिकरणों के साथ साझा उपयोग कर कार्य क्षेत्र की प्रक्रियाओं व सेवाओं को विकसित करना तथा सरकारी अभिकरणों को सक्षम बनाने के लिए साझा नेटवर्क को प्रभावी बनाकर सेवाओं के वितरण और जानकारी को साझा किया गया। **कनाडा** में पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सेवाओं को सस्ती, सुलभ और उत्तरदायी बनाने के लिए रणनीतिक पहल की गई तथा सभी विभागों की सेवाओं को 'पहल सेवा' के तहत एकीकृत कर एकल पोर्टल बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नेन्स सर्वे रिपोर्ट 2013 में उल्लेख किया गया कि ई-गवर्नेन्स पहल में

विभिन्न देशों ने शासन एवं प्रशासन को कारगर बनाने, तालमेल, सतत् विकास, सार्वजनिक क्षेत्र में दक्षता, गुणवत्ता, प्रभावशीलता तथा जानकारी के रूप में अपनाया गया है। वैश्विक स्तर पर कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, जापान, इजराइल, मलेशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा आदि देशों ने ई-गवर्नेन्स के वितरण को मजबूत किया है।

विकासशील देशों ने विश्लेषण प्रक्रियाओं के आधार पर स्तरता प्रदान करने के तहत नीति के रूप में परियोजनाओं को अपनाया है। इन देशों में ई-गवर्नेन्स सरकारी प्रक्रियाओं को बदलने का शक्तिशाली उपकरण है। पाकिस्तान में सरकार के एस निदेशालय ई-गवर्नेन्स का एक मजबूत ई-नेटवर्क है। भारत में ई-गवर्नेन्स पहल सरकार के सभी स्तरों पर सुधार एवं तेजी लाने के लिए नागरिकों में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का इंटरफेस है। केन्द्र एवं राज्य स्तर पर स्मार्ट गवर्नेन्स प्रदान करने तथा आंतरिक प्रक्रियाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 अधिनियमित किया गया। 15 अगस्त, 2002 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ ही संचार प्रौद्योगिकी तक पहुँच के लिए एकीकृत शासन, नागरिकों के लिए कुशल सेवाओं और नागरिक सशक्तिकरण प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। विश्व सूचकांक के परिदृश्य में दूर संचार बुनियादी ढाँचे और मानव संसाधन बंदोबस्ती डिजिटल सेवाओं को मापने के लिए एक मॉडल निर्माण, सर्वेक्षण बेवसाइट, मूल्यांकन पर आधारित ई-गवर्नेन्स तत्परता की मात्रात्मकता का आंकलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तैयार किया जाता है।

भारत परिप्रेक्ष्य

भारत में प्राचीन काल में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष विकास नहीं हो पाया था। सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में पौराणिक और पारम्परिक साधनों का प्रयोग करते थे, जैसे- ढोल पीट-पीटकर, कबूतर उड़ाकर संदेश भेजना व कागज का सहारा लिया जाता था। सूचना सम्प्रेषण का काम आज अपने विकास के चरम शिखर पर पहुँच चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी अपने सफर के बाद आज इस मुकाम पर है, जहाँ इसके विस्तार के लिये दुनिया छोटी पड़ती जा रही है। इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक क्रान्ति का संचार हुआ है। शासन एवं प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को ई-गवर्नेन्स में विकसित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक के बढ़ते महत्व के आधार पर भारत सरकार द्वारा सन् 1970 में 'इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग' की स्थापना की गई।

सन् 1977 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की स्थापना के साथ संचार और प्रौद्योगिकी में ई-शासन ने तेजी से विकास किया। भारत सरकार द्वारा अनुप्रयोगों के विकास पर ध्यान देने के साथ ही सत्तर के दशक में रक्षा, आर्थिक निगरानी, योजना, आई.टी. डाटा संकलन, चुनाव से संबंधित कार्य, जनगणना, कर प्रबंधन के लिए प्रशासन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के प्रयासों के दौरान सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। सन् 1986 में राजीव गाँधी ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साथ 21 वीं सदी में प्रवेश के लिए भारतीय युवाओं से आह्वान किया। भारत सरकार ने सन् 1998 में एक राष्ट्रीय आई.टी. नीति की उद्घोषणा की एवं एक राष्ट्रीय कार्यदल की स्थापना की गई।

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी को अधिक सार्थक बनाने के लिए 18 अक्टूबर 2000 में अधिनियम लागू किया गया। 15 अगस्त, 2002 को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 'राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना' का शुभारम्भ किया गया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रतिवर्ष राज्य सरकारों के साथ मिलकर ई-गवर्नेन्स पर राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर विकास संबंधी कार्यदल द्वारा राष्ट्रीय स्मार्ट शासन की स्थापना की सिफारिश और मई 2005 में डिजिटल भंडारण सुविधा प्रारंभ की गई।

भारत में ई-गवर्नेन्स को और अधिक सुदृढ़ता की स्थिति की ओर ले जाने के लिए वर्ष 2006 में 'राष्ट्रीय ई-शासन योजना' को शुरू किया गया। इसके अलावा यह स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट डाटा सेंटर और राष्ट्रीय सेवा डिलिवरी गेटवे की एक राष्ट्रीय ई-शासन बुनियादी ढाँचों का प्रयास है। भारत के तात्कालिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि- सभी सरकारी विभागों में आधुनिकतम व्यवस्था के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा 21 अगस्त, 2014 को 'डिजिटल इण्डिया' की घोषणा की गई।

भारत में नागरिकों की सेवाओं में सुधार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में रोजगार एवं ई-सेवाओं को आरम्भ करने वाला राज्य आन्ध्रप्रदेश है। राज्य में Hyderabad Information Technology and Engineering Consultancy (Hi-Tec-City) का निर्माण किया गया। भूतपूर्व मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू आई टी मैनि कहलाये। हैदराबाद और सिकंदराबाद में 'इलेक्ट्रॉनिक सेवा' परियोजना को शुरू किया गया। इन्हें जोड़ने का कार्य 1999 में किया गया परन्तु अगस्त 2001 को दोनों के बीच 'ई-सेवा' को सुचारु किया गया। मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू ने जून 2015 को 'ई-प्रगति योजना' का शुभारम्भ किया और उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश राज्य की सार्वजनिक संरचना के लिए ई-प्रगति योजना आवश्यक है। कर्नाटक में 1999 में आई टी पर आधारित भूमि परियोजना ई-गवर्नेन्स की दिशा में अग्रिम कदम है। आई.टी. सेवा, निर्यात, सूचना एवं तकनीक के निर्यात में कर्नाटक का प्रथम स्थान है।

महाराष्ट्र में Sarita (Stamp and Registration Department's IT application) अत्यंत प्रचलित योजना है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 को 'डिजिटल वर्ष' के रूप में घोषित किया गया है। जिसमें सरकार द्वारा ऑनलाइन सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेहिता की आवश्यकताओं को बढ़ावा दिया जा सके। मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी की दिशा में 2005 में ज्ञानदूत परियोजना प्रारम्भ की गई। साइबर अपराध पर काबू पाने के उद्देश्य से सितम्बर 2010 में साइबर पुलिस का गठन किया। सम्पूर्ण देश में केवल मध्यप्रदेश में साइबर अपराध के लिए अलग से प्रकोष्ठ है, शेष सभी राज्यों में CID या दूसरी एजेंसिया कार्य करती है। हरियाणा में हैरिस (Haryana Registration Information system-HARIS) एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सम्पत्ति प्रलेखों के पंजीकरण की सुविधा होती है। यह

महाराष्ट्र की SARITA परियोजना के समान है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की निगरानी के लिए सचिवालय में ई-प्रशासन केन्द्र को स्थापित किया गया।

उत्तरप्रदेश में GIS आधारित जिले संबंधी योजना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित है। ई-भुगतान योजना त्वरित एवं सुविधाजनक भुगतान की दृष्टि से वर्ष 2009 में शुरू की गई। स्टाम्प एवं पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2009 फ्रेकिंग ई-भुगतान प्रणाली के जरिये स्टाम्प पेपर के घोटालों व फर्जीवाड़ा को रोका जा सकेगा। बिहार में विद्यालयों को कम्प्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़ने हेतु ई-समर्थ योजना का शुभारंभ किया गया है। यह सर्वशिक्षा अभियान के तहत शुरू किया गया कम्प्यूटर आधारित शिक्षा कार्यक्रम है। केरल में मल्लापुरम जिला देश का प्रथम ई-साक्षर जिला है। जिले को यह उपलब्धि राज्य द्वारा चलाई गई 'अक्षय परियोजना' से हासिल हुई। ई-जिला योजना कार्यक्रम के तहत डिजिटल लॉकर व्यवस्था को शुरू किया गया। दिल्ली में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 9 फरवरी, 2010 को देश के पहले पेपरलेस ई-कोर्ट के रूप में कार्य प्रारम्भ किया। यह देश की पहली कम्प्यूटरीकृत अदालत है। अधिकारित वेबसाइट से प्रमाण-पत्रों के लिए 'एकल खिड़की' की स्थापना की गई।

राजस्थान में जयपुर देश का 10 वाँ सबसे बड़ा ई-कामर्स केन्द्र है। जहां देश के पहले ई-सेवा केन्द्र का शिलान्यास 19 नवम्बर, 2009 को किया गया। देश का पहला ऑनलाइन जिला न्यायालय जोधपुर में स्थापित है। केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अजमेर व जोधपुर जिलों को ई-जिला घोषित किया है। प्रदेश में ई-सचिवालय, ई-जिला परियोजना, ई-डिस्ट्रिक्ट योजना, अपना खाता, ई-मित्र योजना, ई-संचार एवं राजस्थान राज्य व्यापी तंत्र आदि योजनाओं के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी।

ई-गवर्नेन्स का विस्तार विकास प्रक्रिया में वृद्धि एवं सरकारी तंत्र की आंतरिक प्रक्रियाओं को अधिक सुचारु बनाने के लिए है। यह विकेन्द्रीकरण, कार्य कुशलता, प्रभावशीलता, लागत को कम करने, लोकतंत्र में भागीदारी, जवाबदेहीता, सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा, अपशिष्ट कम करने, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार की समाप्ति, दक्षता, गुणत्वता समस्याओं के समाधान तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं असामनता को समाप्त कर बेहतर भविष्य की गारण्टी देता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर ई-गवर्नेन्स के प्रभाव का विश्लेषण करना।
2. ई-गवर्नेन्स से प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेह व दक्षता, गुणत्वता का मूल्यांकन करना।
3. ई-गवर्नेन्स के क्रियान्वयन में जनसहभागिता का पता लगाना।
4. ई-गवर्नेन्स के सफल क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करना।

5. अनुभवपूर्वक निष्कर्षों के आधार पर ई-गवर्नेन्स के प्रभाव को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत शोध-पत्र के लिए समंक प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से संग्रहित किये गए हैं। प्राथमिक स्रोतों में अवलोकन, चर्चाएँ, साक्षात्कार एवं प्रश्नावलियों का प्रयोग किया गया है। इस हेतु ई-गवर्नेन्स से संबंधित विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ आम जनता का भी साक्षात्कार लिया गया है। द्वितीयक स्रोतों में प्रकाशित पुस्तकें, पत्रिकाएँ, लेख, सम्बंधित विभाग की प्राप्त जानकारी, विभागीय प्रतिवेदन, समाचार पत्र, विभिन्न प्रकार के प्रकाशित व अप्रकाशित आँकड़ों, नियमावली और विभिन्न इंटरनेट वेबसाइट्स व अन्य प्रकार के दस्तावेज सारणी इत्यादि को सम्मिलित किया गया है।

समस्या एवं सुझाव

- ई-गवर्नेन्स में कार्य योजना जब अनुपयुक्त तथा असम्बद्ध होती हैं, तो यह बाधक बन जाती हैं। कार्य योजना का निर्माण क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
- यहाँ संयोजकत्व, वित्त तथा अन्य संसाधनों की समस्या बनी रहती है, सभी संयोजकत्वों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
- अंतर्विषयक विकास भी ई-गवर्नेन्स के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है। समय-समय पर विभिन्न परियोजनाओं की सूचना प्रदान करते हुए मार्ग-निर्देशन के लिए कैम्पों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- ई-गवर्नेन्स में मानव संसाधन की अनदेखी की जाती हैं। मानव संसाधन का उपयोग करने के लिए क्षमता-निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पर्याप्त महत्त्व दिया जाना चाहिए।
- इंटरनेट कनेक्टिविटी अधिकांशतः बाधित रहती हैं, जिससे नागरिक सूचनाओं को ऑनलाइन नहीं देख पाते हैं। संचार की प्रक्रिया अबाध रूप से चलती रहे, इसके लिए नेटवर्किंग तथा इंटरनेट कनेक्शन आदि उपकरणों का समुचित रख-रखाव किया जाना चाहिए।
- उन्नत तकनीकी उपकरणों का अभाव पाया जाता है। पुराने उपकरणों से कार्य किया जाता है, जो अधिकांश समय खराब स्थिति में रहते हैं और संचार कार्य को बाधित करते हैं। तेज गति के सूचना तंत्र के लिए आधुनिकतम उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए तथा समय-समय पर नवीन तकनीकी को काम में लिया जाना चाहिए,
- संचार तंत्र में काम लिया जाने वाला सॉफ्टवेयर कार्य-प्रणाली के लिए अनुकूल स्थिति में नहीं है। उपयोगकर्ताओं को जानकारी सीधे तौर पर मिल सके इसके

लिए उपर्युक्त सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाना चाहिए तथा उसे नागरिकों की पहुँच में आसान बनाया जाना चाहिए।

- साइबर अपराध ई-गवर्नेन्स के लिए बाधक है। साइबर कानून को अनिवार्य रूप से लागू कर इंटरनेट हैकिंग को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा नागरिकों को सेवाओं का वितरण ई-गवर्नेन्स के माध्यम से किया जा रहा है। ई-गवर्नेन्स ने जहाँ शासन एवं प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता व कुशलता को बढ़ावा दिया है वहीं जनता में सहभागिता, क्षमता, विश्वसनीयता एवं जानकारी का विकास किया है। इससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिला है हालांकि ई-गवर्नेन्स के तहत उपलब्ध करवायी जाने वाली सेवाओं में अनेक प्रकार की समस्याएं भी हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार एवं नागरिक सहभागिता द्वारा दूर किया जा सकता है साथ ही जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों व जनसहभागिता को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. AOEMA 2005 Report , U.N. 2006
2. ARC – 11th Report – Chapter – Pdf – 14
3. www.egov.dpc.wa.gov.au
4. www.egov.un.report2013
5. www.iccd.org
6. www.ijmer.net
7. www.egov.eletsonline.com
8. www.doit.gov.in
9. द्विवेदी, डॉ. संजय 'भारत में ई-गवर्नेन्स – समस्याएं और स्वीकार्यता
10. यादव, किरण और तिवारी, सनातन 'अवसर और चुनौतियां : भारत में ई-गवर्नेन्स
11. राजस्थान पत्रिका 15 दिसम्बर, 2011
12. विकिपीडिया, मुक्त विश्व कोष, 'दक्षिण कोरिया में ई-गवर्नेन्स', लेख
13. विकिपीडिया मुक्त विश्व कोष 'यू.एस.ए में ई-गवर्नेन्स'
14. विकिपीडिया मुक्त विश्व कोष 'यू.के में ई-गवर्नेन्स'
15. विकिपीडिया मुक्त विश्व कोष 'न्यूजीलैण्ड में ई-गवर्नेन्स'
16. विकिपीडिया मुक्त विश्व कोष 'कनाडा में ई-गवर्नेन्स'
17. समीर सचदेवा (2002) भारत में ई-गवर्नेन्स रणनीति पृष्ठ संख्या 5-9
18. सिंह वी.बी. ई-गवर्नेन्स, अतीत, वर्तमान और भारत में भविष्य 'इंटरनेशनल जर्नल' 7 सितम्बर 2012